हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 17 दिसम्बर, 2013

संख्या वैब 5/ह0 अ0 6/2003/धा0 60/2013 . – हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में, **नियम 19** का लोप कर दिया जायेगा तथा 6 दिसम्बर, 2013 से लोप किया गया समझा जायेगा।

3. उक्त नियमों में, **नियम 56** का लोप कर दिया जायेगा तथा जनवरी, 2014 के प्रथम दिन से लोप किया गया समझा जायेगा।

4. उक्त नियमों में, **प्ररुप वैट-ख3 क्षतिपूर्ति बन्धपत्र** का लोप कर दिया जायेगा तथा जनवरी, 2014 के प्रथम दिन से लोप किया गया समझा जायेगा।

5. उक्त नियमों में, **प्ररुप वैट-ग3** का लोप कर दिया जायेगा तथा 6 दिसम्बर, 2013 से लोप किया गया समझा जायेगा ।

6. उक्त नियमों में, **प्ररुप वैट डी3 (भीतरी) तथा प्ररुप वैट डी3 चालान बाहरी** का लोप कर दिया जायेगा तथा जनवरी, 2014 के प्रथम दिन से लोप किये गये समझे जायेंगे।

हरदीप कुमार
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।